

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त एवं योजना विभाग**  
**दारु कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर**

क्रमांक 29/20/वित्त/नियम/चार/2010,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 27.01.2010

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 262/236/नि/चार/2009, दिनांक 31-08-2009 तथा ज्ञापन क्रमांक 264/236/नि/चार/2009, दिनांक 31-08-2009 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से 12 प्रतिशत की दर से तथा 01 जुलाई, 2009 से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-11-2009 से (माह नवम्बर, 2009 की पेंशन/परिवार पेंशन जो दिसम्बर, 2009 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 19 प्रतिशत
दिनांक 01-01-2010 (माह जनवरी, 2010 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2010 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 22 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 20-7-2009 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।


3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**  
**FINANCE DEPARTMENT**  
**MANTRALAYA, RAIPUR**

No. 29/20/Fin./Rule/IV /2010

Raipur, Dated 27.01.2010

To,

All Department of Government  
The President of Board of Revenue, Bilaspur  
All Commissioners of Divisions  
All Heads of Department  
All Collectors  
Chhattisgarh

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh

-----

The State Government had sanctioned 12% dearness relief w.e.f. 01-09-2008 and 16% dearness relief w.e.f. 01-07-2009 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 262/236/R/IV, dated 31-08-2009 and Memo No. 264/236/R/IV, dated 31-08-2009. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension shall also qualify for dearness relief.

<b>Period</b>	<b>Rate of Dearness relief per month</b>
w.e.f. 01-11-2009 (Pension/family pension for the month of November, 2009 paid in December, 2009)	19% of Pension/family pension
w.e.f. 01-01-2010 (Pension/family pension for the month of January, 2010 paid in February, 2010)	22% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 24/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).


4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc

and have become eligible to restoration of 1/3<sup>rd</sup> commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E4/1/83/R-V/IV, dated 29<sup>th</sup> January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh




**(S. K. Chakravorty)**  
Deputy Secretary  
Government of Chhattisgarh  
Finance Department

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव,राजभवन,रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय,रायपुर ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग.लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
9. महालेखाकार (लेखा एवं हक.), छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
12. सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
13. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
16. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
18. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
20. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी/पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
23. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
24. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
25. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक,पेंशन वितरण बैंकों को क्षेत्रीय कार्यालय,छत्तीसगढ़ की ओर वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई 4-1/81/नि-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें, ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गई पुनरीक्षित पेंशन राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके ।

26. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
27. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
28. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
29. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
30. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
31. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
32. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
33. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
34. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
35. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001.
36. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
37. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047
38. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
39. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
40. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
41. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
42. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
43. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
44. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
45. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
46. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
47. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
48. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
49. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
50. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, पांचवीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
52. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001.
53. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
54. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
56. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
57. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
58. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
59. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम
60. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018.
61. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018.

62. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
64. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
67. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं 4,सेक्टर 5, 33बी चंडीगढ़ 160047.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
69. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
70. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001.
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
72. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 700001.
73. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर,श्रीनगर 190001.
74. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001.
76. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक 717101
77. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तरांचल, देहरादून
78. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव, पोस्ट पणजी, गोवा 403101
79. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. महालेखाकार (लेखा एवं हक.), मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
81. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक-5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110006
82. सहायक मिलिट्री, एटैची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल-1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
83. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
84. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
85. संचालक, पेंशन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
86. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग